# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 160/2021

**उनवान**

मांगीलाल पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी ग्रम झडवासा, नसीराबाद
—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह राठौड

**बनाम**

1. कमला उर्फ मैना पुत्री लक्ष्मण,
2. गलकू पुत्री लक्ष्मण,
3. नौसर पत्नी लक्ष्मण,
4. प्रधान,
5. सुरेश पुत्र लक्ष्मण जाति गुर्जर नि0 झडवासा, नसीराबाद,
6. मैनेजर स्टेट बैंक आफॅ इंडिया नसीराबाद,
7. उप पंजीयक, नसीराबाद,
8. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 6 अनुपस्थित, 7 व 8 जरिये राज0 पैरोकार

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

---

–: निर्णय :– दिनांक :– 28/3/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के चौसाला खसरा नम्बर 1175 वर्किंग खसरा नम्बर 1727 रकबा 1–0–0 के हाल खसरा नम्बर 1280 रकबा 0.14 व 1280/4592 रकबा 0.02 की आराजी वादी ने प्रतिवादीगण के पूर्वज हंगामा पुत्र हजारी से क्रय कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। वादी द्वारा उक्त आराजी जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रय करने के बावजूद उपरोक्त आराजी हंगामा के भाई लक्ष्मण के वारिसान के नाम त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दी, जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा हाल खसरा नम्बर 1280 रकबा 0.14 व 1280/4592 रकबा 0.02 भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 29.08.1980 को हंगामा पुत्र हजारी द्वारा कभी भी आराजी मुतनाजा [illegible] नही किया गया है। वादग्रस्त सम्पदा तत्कालीन खातेदार हंगामा, [illegible] के नाम खातेदारी दर्ज थी, जिसे एक व्यक्ति बैचान नही कर सकता है। [illegible] का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:42 IST
Reason: SelfAttested



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वादी का आराजी मुतनाजा पर कब्जा काश्त नही है। हंगामा व किशना नाऔलाद फौत होने व सम्पूर्ण सेवा व सामाजिक किया कर्म करने से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम खातेदारी दर्ज की गयी। अतः वादी का वाद सव्यय खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 6 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा है ?

—— वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?

—— वादी

3. अनुतोष ?

प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने राजस्व अभिलेख व विकय पत्र पेश किये तथा प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

**<u>तनकी संख्या 1 :–</u>**

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम झडवासा के वंर्किग खसरा नम्बर 1727 रकबा 1–0–0 की आराजी वंर्किग जमाबंदी में तत्कालीन खातेदार हंगामा, किशना लक्ष्मण पि. हजारी के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी के खातेदार हंगामा पुत्र हजारी ने जरियें पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 25.10.80 को उक्त आराजी का बैचान वादी को कर दिया। उक्त विकय पत्र पंजीबद्व है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। प्रतिवादीगण उक्त विकय पत्र को फर्जी बताते है। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में दिनांक 10.05.22 को उपस्थित दर्ज करवायी है। उनके द्वारा आज दिवस तक विकय पत्र के विरूद्व कोई चाराजोही नही की है। प्रतिवादीगण ने वाद के खण्डन में कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उसके कथनों की ताईद होती है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

**<u>तनकी संख्या 2 :–</u>**

तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार आराजी मुतनाजा वादी की विधिक कयशुदा सिद्व होती है। वंर्किग खसरा नम्बर 1727 रकबा 1–0–0 की आराजी वंर्किग जमाबंदी में तत्कालीन खातेदार हंगामा, किशना लक्ष्मण पि. हजारी के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी के खातेदार हंगामा पुत्र हजारी ने जरियें पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 25.10.80 को उक्त आराजी का बैचान वादी को कर दिया। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में कथन किया है कि वादग्रस्त सम्पदा तत्कालीन खातेदार हंगामा, किशना लक्ष्मण पि. हजारी के नाम खातेदारी दर्ज थी। हंगामा व किशना नाऔलाद फौत हो गये है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी को आराजी मुतनाजा पर हंगामा व लक्ष्मण का बाराबर हिस्सा निहित था। हंगामा द्वारा अपना हिस्सा वादी को विकय कर दिया है अतः वादी आराजी मुतनाजा के 1/2 हिस्से पर खातेदारी प्राप्त करने का अ[illegible] है। [illegible] अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की खातेदारी में दर्ज है। [illegible] का [illegible] हिस्सा प्रतिवार संख्या 6 के पास रहन दर्ज है। किन्तु वादी द्वारा [illegible] कर ली गयी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 [illegible] अनुसार विकेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वा[illegible] की विधिक कयशुदा है। अतः प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:42 IST
Reason: SelfAttested

——3

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

संख्या 6 के पास भूमि रहन का इन्द्राज वादी के हितों पर अप्रभावी है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद का खण्डन नही किया गया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। तनकी बहक वादी निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 1280 रकबा 0.14 व 1280/4592 रकबा 0.02 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:42 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

**उनवान**

मांगीलाल बनाम कमला वगै.

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 160/2021
पेश करने की दिनांक – 10.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 1280 रकबा 0.14 व 1280/4592 रकबा 0.02 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 28 माह 3 सन् 2025 को जारी की गयी।

| मुददई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>फीस कमिश्नर<br>खर्चा गवाहान<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक |
| मिजान | मिजान |

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:04:42 IST
Reason: SelfAttested